



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ़ 16, 1939

No. 611]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ASADHA 16, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

(जीएसटी नीति खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2017

सं. 16/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 848(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर, नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसका एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं का प्रदाय करने का आशय है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने हेतु शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है।

निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे:--

(क) विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्रास्थिति धारक; या

(ख) जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात आवर्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर देय ऐसा विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त किया है, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होना चाहिए;

और उसे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन या विद्यमान विधि में से किसी विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहां अपवचन किए गए कर की रकम दो करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक है।

(i) किसी वित्तीय वर्ष में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवचन पत्र, दो प्रतियों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और इसे सक्रिय भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे सक्रिय भागीदार, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर के स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2017

No. 16/2017—Central Tax

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the conditions and safeguards for the registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax, for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond.

i. The following registered person shall be eligible for submission of Letter of Undertaking in place of a bond:-

(a) a status holder as specified in paragraph 5 of the Foreign Trade Policy 2015-2020; or

(b) who has received the due foreign inward remittances amounting to a minimum of 10% of the export turnover, which should not be less than one crore rupees, in the preceding financial year,

and he has not been prosecuted for any offence under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or under any of the existing laws in case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

ii. The Letter of Undertaking shall be furnished in duplicate for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor on the letter head of the registered person.

[F. No. 349/74/2017 – GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.